



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04022026-269821  
CG-DL-E-04022026-269821

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 98]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 4, 2026/माघ 15, 1947

No. 98]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 4, 2026/MAGHA 15, 1947

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय  
(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 2026

**सा.का.नि.103(अ).**— विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) की धारा 5 तथा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गैस सिलेंडर नियम, 2016 में संशोधन करने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित नियमों के प्रारूप, उक्त अधिनियम की धारा 18 की उप-धारा (1) के प्रावधानों के अनुसार, एतद्वारा उन सभी व्यक्तियों की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है जिनके इन नियमों से प्रभावित होने की संभावना है और यह नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप पर, उस तारीख से जिसको इस अधिसूचनावाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, तीस (30) दिनों के पश्चात विचार किया जाएगा।

इन प्रारूप नियमों के बारे में, यदि कोई आपत्तियां या सुझाव हों तो, निदेशक(विस्फोटक), उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, कमरा नं. 252ए, उद्योग भवन, नई दिल्ली- 110011 को या ईमेल [expl-dipp@nic.in](mailto:expl-dipp@nic.in) द्वारा ऊपर उल्लिखित अवधि के भीतर भेजे जा सकते हैं।

उक्त प्रारूप नियमों के बारे में, उपर्युक्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी व्यक्ति से प्राप्त आपत्तियों या सुझावों पर केन्द्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

### प्रारूप नियम

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गैस सिलेंडर (संशोधन) नियम, 2026 है।  
(2) ये राजपत्र में इनके अंतिम रूप से प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. गैस सिलेंडर नियम, 2016 (जिसे आगे “उक्त नियम” कहा गया है) के नियम 3 के उप-नियम (5) में, “भारतीय पत्तनसे होकर” शब्दों के बाद और “ऐसी गैस को भरा जा सकता है” शब्दों से पहले, “या रक्षा मंत्रालय के प्रतिष्ठानों, अंतरिक्ष विभाग तथा उनके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अपने स्वयं के उपयोग के लिए आयात किए गए सिलेंडर एवं वाल्व,” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।
3. उक्त नियमों के नियम 32 में, उप-नियम (1) के बाद, निम्नलिखित परन्तुक शामिल किया जाएगा, अर्थात्—“बशर्ते कि (क) बिना वाल्व वाले खाली सिलेंडरों के लिए तथा (ख) मुख्य नियंत्रक द्वारा अनुमोदित विदेशी विनिर्माण संयंत्रों से आयात किए गए और प्रपत्र-घ में वैध आयात लाइसेंस रखने वाले वाल्व एवं एलपीजी रेगुलेटरों के लिए लैंडिंगकी अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।”
4. उक्त नियमों के नियम 48 में, उप-नियम (3) के खंड (ख) में, “तरलीकृत पेट्रोलियम गैस” शब्दों के बाद और “सिलेंडरों में” शब्दों से पहले, “या अन्य ज्वलनशील गैसों” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

[फा.सं. पी-13018/8/2025-विस्फोटक-भाग (1)]

जय प्रकाश शिवहरे, संयुक्त सचिव

**टिप्पण:** मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्या 1081 (अ), तारीख 22 नवंबर, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 189 (अ) तारीख 27 फरवरी, 2018, सा.का.नि. 231 (अ) तारीख 15 मार्च, 2018, सा.का.नि. 44 (अ) तारीख 23 जनवरी, 2019, सा.का.नि. 44(अ) तारीख 20 जनवरी, 2022, सा.का.नि. 225 (अ) तारीख 11 अप्रैल, 2025, सा.का.नि. 386(अ) तारीख 16 जून, 2025, सा.का.नि. 501(अ) तारीख 28 जुलाई, 2025 और सा.का.नि. 839(अ) तारीख 12 नवंबर, 2025 द्वारा इनमें पश्चात्पूर्ती संशोधन किया गया।

## MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd February, 2026

**G.S.R.103(E).**—The draft of the following rules to amend the Gas Cylinders Rules, 2016 which the Central Government proposes to make, in exercise of the powers conferred by sections 5 and 7 of the Explosives Act, 1884 (4 of 1884), is hereby published as required by sub-section (1) of section 18 of the said Act, for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration after Thirty (30) days from the date on which the copies of this notification as published in the Official Gazette are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, to these draft rules may be sent to the Director (Explosives), Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry, Room No. 252-A, Udyog Bhavan, New Delhi – 110001 or Email: expl-dipp@nic.in; within the period specified above.

The objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules, within the period so specified will be considered by the Central Government.

**Draft rules**

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Gas Cylinders (Amendment) Rules, 2026.  
(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.
2. In the Gas Cylinders Rules, 2016 (hereinafter referred to as said rules), in the sub-rule 5 of rule 3, after the words, “touching Indian port” and before the words, “could be filled with such gas”, the words, “or cylinders and valves imported by establishments of Ministry of Defense, Department of Space and their Public Sector Undertakings for their own use,” shall be inserted.
3. In rule 32 of the said rules, after sub-rule 1, the following proviso shall be inserted, namely: -“Provided that such landing permission shall not be required for (a) empty cylinders without valves (b) Valves and LPG regulators, imported from the foreign manufacturing plants approved by the Chief Controller and having valid import licence in Form-D.”, .
4. In rule 48 of the said rules, in clause (b) of sub-rule 3, after the words, “Liquified Petroleum Gas” and before the words, “in cylinders, the words, “or other flammable gases”, shall be inserted.

[F.No. P-13018/8/2025-EXPLOSIVE-Part(1)]

JAI PRAKASH SHIVAHARE, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the official Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number 1081(E) dated 22<sup>nd</sup> November, 2016 and subsequently amended *vide* notification number G.S.R. 189(E) dated 27<sup>th</sup> February, 2018, G.S.R. 231(E) dated 15<sup>th</sup> March 2018, G.S.R. 44(E) dated 23<sup>rd</sup> January, 2019, G.S.R. 44(E) dated 20<sup>th</sup> January 2022, G.S.R. 225(E) dated 11<sup>th</sup> April, 2025, G.S.R. 386(E), dated 16<sup>th</sup> June, 2025, G.S.R. 501(E) dated 28<sup>th</sup> July 2025 and G.S.R. 839(E) dated 12<sup>th</sup> November, 2025.